सत्यमेव जयते

Department of School Education and Literacy
Ministry of Education
Government of India

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार

2021-2022

विद्यालयों में
जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई
में उत्कृष्टता को मान्यता
प्रदान करना

सत्यमेव जयते
Department of School Education and Literacy
Ministry of Education
Government of India

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार

2021-2022

विद्यालयों में
जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई
में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करना

विषय सूची

अध्याय 1:

स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय : एक राष्ट्रीय लक्ष्य 1

अध्याय 2:

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-2022 5

अध्याय 3:

पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है 7

अध्याय 4:

पुरस्कारों के लिए विद्यालयों को चुनने की पद्धति 9

अध्याय 5:

पुरस्कारों की श्रेणियां 11

अध्याय 6:

पुरस्कार प्रक्रिया के चरण 15

अनुलग्नक 1: विद्यालयी स्तर की जानकारी हेतु स्व-मूल्यांकन प्रारूप 17

अनुलग्नक 2: संकेतकों की सूची 35

अनुलग्नक 3: अंक प्राप्त करने की विधि 36

अनुलग्नक 4: मूल्यांकन प्रक्रिया (जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर) 37

बी.आर.सी.मीटिंग हाल

01 अध्याय

स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय: एक राष्ट्रीय लक्ष्य

विद्यालयों में उपलब्ध स्वच्छ जल, स्वच्छता और साफ-सफाई बच्चों के स्वास्थ्य, विद्यालय में उनकी दैनिक उपस्थिति और लिखने-पढ़ने-सीखने के परिणाम निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय में जल, स्वच्छता और साफ-सफाई की सुविधाओं का प्रावधान एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करता है तथा बच्चों को बीमारी (कोविड-19 सहित) एवं किसी भी तरह के सामाजिक तिरस्कार से संरक्षित करता है। एक प्रकार से, यह विद्यालय में एक स्वस्थ वातावरण विकसित करने की दिशा में प्रथम चरण है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक है। जो बच्चे स्वस्थ और सुपोषित होते हैं, वे विद्यालय में पूरे समय उपस्थित रह सकते हैं तथा वहां प्रदान की जा रही शिक्षा का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं।

रेखाचित्र 1 : स्वच्छ विद्यालय संकुल (पैकेज)

सन् 2014 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार ने सभी विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए सुचारू ढंग से चलनेवाले शौचालय और पेय जलस्त्रोत सुनिश्चित करने के लिए 'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय' (एसबीएसवी) अभियान आरम्भ किया था यह पहल, विद्यालय के बच्चों द्वारा समुचित स्वच्छता आदतें अपनाने पर बल देने तथा इन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।

स्वच्छ विद्यालय पहल ने विद्यालयों में जल, स्वच्छता और साफ-सफाई के अनिवार्य कारकों को परिभाषित किया जो इस प्रकार हैं जल, स्वच्छता, साबुन से हाथ धोना, संचालन एवं रख-रखाव, व्यवहार परिवर्तन गतिविधियां और क्षमता निर्माण। वर्ष 2019-20 की समयावधि में, कोविड-19 महामारी ने भारत में लाखों बच्चों की कक्षा स्थलीय शिक्षा को अभूतपूर्व ढंग से प्रभावित किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए, "कोविड-19 तैयारी एवं प्रतिक्रिया" को स्वच्छ विद्यालय संकुल (पैकेज) में एक अतिरिक्त मापदंड के रूप

में सम्मिलित किया गया है ताकि सभी को कोविड संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु तथा कोविड-19 के जोखिम से बचने के लिए, तीन प्रमुख उपायों को महत्वपूर्ण माना गया है जो इस प्रकार हैं।

रेखाचित्र 2: "कोविड-19" से सुरक्षा के प्रमुख उपाय

01 मुखपट्टी को ढंग से पहनें

02 सामाजिक दूरी बनाएं रखें

03 साबुन से हाथ धोएं

एसवीपी दिशानिर्देशों के कुछ अन्य प्रमुख घटक हैं मासिक-धर्म से संबंधित स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) एवं जलवायु अनुकूल, कोविड-19 से सुरक्षा और बच्चों की आयु के अनुकूल, दिव्यांग अनुकूल एवं लड़कियों के लिए उपयुक्त सुविधाएं। इन सब बिंदुओं से संबंधित प्रश्नों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में सम्मिलित किया गया हैं।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की संपूर्ण प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों और बाल संसद जैसे हितग्राहियों की एक प्रमुख भूमिका है; इसलिए इसको सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनके कौशल और क्षमता विकास की मुख्य आवश्यकता है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार स्वच्छता से सम्बधित कार्यकारी कर्तव्यों को समझाने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है – यह कर्त्तव्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी सम्मिलित हैं।

यह अपेक्षा की जाती है कि सभी विद्यालयों द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के घटकों को पूर्ण रूप से समझ लिया गया है और जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई से संबंधित वांछित सेवा स्तर प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। इस पहल के आरंभ होने के बाद से लेकर अब तक राज्य, जनपद और स्थानीय शासन के साथ-साथ पूरे राष्ट्र के विद्यालयों ने स्कूलों की पेय जल और स्वच्छता सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार किया है। वे इन सुविधाओं को सभी बच्चों तक पहुंचने के लिए के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और इसके लिए उन्होंने बच्चों के अनुकूल पेय जल, हाथ धुलाई और शौचालय की सुविधाओं कि डिजाइन बनाने, रख-रखाव पद्धतियां अपनाने, आईसीटी उपकरणों का उपयोग करते हुए प्रभावी निगरानी करने, व्यवहार परिवर्तन के संबंध में सूचना-संचार प्रणाली बनाने, नवीन वित्त-पोषण विकल्प अपनाने और विभिन्न विभागों के बीच ताल मेल विकसित करने जैसे अनेक कार्य आरंभ भी कर दिए हैं। इस शुरुआत के बाद, अब विद्यालय दिव्यांग अनुकूल शौचालय तक सफाई-धुलाई सुविधाओं की पहुंच सुलभ बनाने के लिए अधिक संवेदनशील हैं। इस हेतु वे मासिक-धर्म से संबंधित स्वच्छता प्रावधान बना रहे हैं जिसमें सुरक्षित एवं स्वच्छतायुक्त सैनेटरी पैड उत्पाद उपलब्ध कराने और इनके सुरक्षित निपटान की आसान सुविधा सम्मिलित है। इतना ही नहीं, वे जल संरक्षण के उपाय अपना रहे हैं– जैसे कि जल की बचत, जल का पुनर्भरण करना इत्यादि। साथ ही वे पेय जल, हाथ धुलाई और शौचालय की सुविधाओं के उचित संचालन एवं रख-रखाव के उपाय भी अपना रहे हैं– जिसमें मरम्मत, और संगमन आदि सम्मिलित है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जागरूकता इतने तक ही सीमित नहीं और विद्यालय कोविड-19 से बचाव के संवेदनशील उपाय भी अपना रहे हैं– जैसे कि स्पर्श नहीं करना/कम से कम स्पर्श करना, हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध कराना, हाथ धोने की सुविधा का उपयोग करने के दौरान सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करना, दैनिक साफ-सफाई करना एवं कीटाणु मारना, सुरक्षित कूड़ा-करकट निपटान करना आदि।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार ने विगत कुछ वर्षों में स्कूलों के पेय जल एवं स्वच्छता सम्बधित प्रयासों को पुरस्कृत करने के अतिरिक्त, विद्यालयों की पेय जल एवं स्वच्छता की स्थिति और व्यवहार के मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आधारित स्थिति विश्लेषण विद्यालय में सुविधाओं की कमियों की पहचान करने और स्वच्छता कार्य योजना का बुनियादी ढांचा बनाने में मदद करता है। परिणामस्वरूप, स्वच्छता कार्य योजना का विद्यालयों द्वारा प्रभावशाली क्रियान्वयन किया जा सकता है। स्वच्छता कार्य योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए विद्यालय से सम्बंधित स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र के उद्योगों, स्थानीय दानदाताओं, समुदायों, जन प्रतिनिधियों की भागीदारी आवश्यक है ताकि वे विभिन्न स्त्रोतों से पर्याप्त संसाधन जुटाने में सहयोग दे सकें। स्वच्छता कार्य योजना के माध्यम से, हजारों विद्यालयों ने समुचित पेय जल, शौचालय एवं हाथ धुलाई की सुविधाओं और स्वच्छता के व्यवहार विकसित और प्रसारित करने के अनेक उदाहरण प्रदर्शित किये हैं।

स्वच्छ विद्यालय की मुहीम को आगे बढ़ाने और कायम रखने के लिए इस प्रकार के सफल उदाहरणों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत और साझा किए जाने की आवश्यकता है जो की स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के माध्यम से संभव हो रही है।

बच्चे परिवर्तन के कारक

विद्यालय, शिक्षण हेतु संस्थापित प्रथम प्रतिष्ठान हैं। विद्यालय न सिर्फ बच्चों बल्कि उनके माता पिता और समाज के लिए भी ज्ञान अर्जित करने का एक अवसर उपलब्ध कराते हैं। वे या तो बच्चों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करते हैं बल्कि विद्यालयों में प्रत्यक्ष जुड़ाव एवं प्रदर्शन द्वारा ऐसा करते हैं। बच्चे तेजी से सीखते हैं और वयस्क व्यक्तियों की तुलना में स्वच्छता के नविन व्यवहारों को ज्यादा आसानी से अपनाते हैं। बच्चे, घर एवं समाज में बदलाव के प्रभावी कारक भी होते हैं। वे अपने-अपने घरों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित पद्धतियों के बारे में प्रश्न कर सकते हैं और विकल्प के रूप में स्वच्छता के उपयुक्त कार्य-प्रदर्शन कर सकते हैं। बच्चे विद्यालय में जो कुछ सीखते हैं, उसका प्रसार अपने मित्रों और भाई-बहनों तथा भविष्य में माता-पिता बनने के बाद, उनके अपने बच्चों तक कर सकते हैं।

स्रोतः स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय पुस्तिका

दिवस
2021

02 अध्याय

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-2022

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (एसवीपी) की संस्थापना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में पेय जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के प्रयासों में उत्कृष्टता को मान्यता देने, प्रेरित करने और पुरस्कृत करने के उद्देश्य से सन् 2016-17 में की गई थी। पुरस्कारों का स्पष्ट उद्देश्य उन विद्यालयों का सम्मान करना है जिन्होंने स्वच्छ विद्यालय अभियान के सभी मुख्य लक्ष्यों को पूर्ण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एसवीपी 2017-18 के अंतर्गत, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6,15,151 विद्यालयों ने प्रतिभागिता की थी जो की वर्ष 2016-2017 की तुलना में लगभग दो गुनी थी। 2021-2022 स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के दिशा निर्देश कोरोना महामारी की स्थिति को महेनजर रखते हुए तैयार किये गए हैं।

G.B.V
CHAIBASA

03 अध्याय

पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है

पुरस्कारों का वितरण

शासकीय विद्यालय

शासकीय सहायता-प्राप्त विद्यालय

निजी विद्यालय

ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में

04 अध्याय

पुरस्कारों के लिए विद्यालयों को चुनने की पद्धति

पुरस्कारों के लिए विद्यालयों का चयन करने और उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

1. विद्यालय, वेब पोर्टल http://education.gov.in → स्वच्छ विद्यालय → स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021–22 के माध्यम से अथवा गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल ऐप स्टोर से एक मोबाइल ऐप यानी "स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021–22" डाउनलोड करके एसवीपी 2021–22 में भागीदारी कर सकता है।

2. इस हेतु विद्यालय को सर्वप्रथम यूडीआईएसई+ विद्यालय के कोड का उपयोग करके "साइन अप" करने की आवश्यकता है। विद्यालय को विद्यालय के यूडीआईएसई+ कोड, नाम, राज्य, जनपद, खण्ड, गांव की पूर्व में भरी गई जानकारी को सत्यापित करने की आवश्यकता होगी। सत्यापन के बाद, विद्यालय जो है वह विद्यालय का पता, प्रत्यर्थी का नाम, पदनाम, मोबाइल, ईमेल से संबंधित अतिरिक्त मूल जानकारी भरेगा। विद्यालय को एक पासवर्ड का चयन भी करना होगा और पासवर्ड की अभिपुष्टि करनी होगी। इसके उपरांत, विद्यालय को "साइन-अप" बटन दबाने की आवश्यकता होगी। ऐसा करते ही, स्क्रीन पर "साइन अप सक्सेसफुल" के रूप में अचानक से एक संदेश आएगा और इस हेतु ईमेल अभिपुष्टिकरण प्राप्त होगा। विद्यालय को उत्पन्न किए गए पासवर्ड को अपने पास जानकारी के रूप में संग्रहीत करना चाहिए क्योंकि उसका लॉगिन उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाएगा।

3. विद्यालय जो है वह "यूडीआईएसई+ कोड एवं पासवर्ड" का उपयोग करके एसवीपी–2021–22 हेतु "लॉगिन" कर सकता है। पासवर्ड वही होना चाहिए जो साइन अप चरण की समयावधि में चुना गया था। इसके उपरांत, विद्यालय, अनुलग्नक 1 (अनुभाग ए: प्राथमिक जानकारी (पंजीकरण हेतु) एवं अनुभाग बी : आकलन श्रेणियां (सर्वेक्षण हेतु)) के अंतर्गत विद्यालय स्तर की जानकारी हेतु निर्धारित स्व-आकल प्रारूप के अनुसार जानकारी (फोटो अपलोड के साथ) भरने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। प्रारूप को पूरी तरह भरने के बाद, विद्यालय "सबमिट" बटन पर क्लिक करेगा। ऐसा करते ही, एक ओटीपी उत्पन्न होगा और पंजीकृत ईमेल पर भेजा जाएगा। विद्यालय, एसवीपी आवेदन को पूर्ण करने के लिए ओटीपी डालेगा यानी टाइप करेगा। यह करते ही, स्क्रीन पर आवेदन के सफलतापूर्वक जमा हो जाने के संबंध में अचानक से एक संदेश उभरेगा।

4. वेबसाइट/मोबाइल ऐप को विद्यालयों की विभिन्न श्रेणियां बनाने व व्यवस्थित करने के अनुरूप विशिष्ट रूप में बनाया गया है। विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रपत्र में अपेक्षितानुसार सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं।

5. प्रपत्र में दी जाने वाली जानकारी स्वच्छ विद्यालय दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। **अनुलग्नक 2** उन संकेतकों की सूची उपलब्ध कराता है, जो निम्न के अंतर्गत वर्गीकृत हैं– (क) जल (ख) शौचालय (ग) साबुन से हाथ धोना (घ) संचालन एवं रख-रखाव (ङ) व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण, और (च) कोविड-19 (तैयारी एवं प्रतिक्रिया)।

6. प्रत्येक मानदंड हेतु प्राप्त होने वाले अधिकतम अंक तालिका 1 में दिए गए हैं:

तालिका 1: स्वच्छ विद्यालय मानदंडों के अनुरूप नियत अंकन

उप-श्रेणियां	अधिकतम अंक
जल	22
शौचालय	27
साबुन से हाथ धोना	14
संचालन एवं रख-रखाव	21
व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण	11
कोविड-19 से बचाव के उपाय	15
कुल	**110**

7. विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों के प्रदर्शन को अनुलग्नक 3 में दी गई विधि के अनुसार अंकित किया जाएगा।।

8. प्राप्तांकों के आधार पर विद्यालयों को तालिका 2 के अनुसार एक स्टार रेटिंग दी जाएगी।

तालिका 2: स्वच्छ विद्यालय मानदंडों के अनुरूप अनुपालन करने पर आधारित प्रदर्शन स्तर

अंक	स्टार रेटिंग	टिप्पणियां
मानदंडों के 90% – 100% **	*****	उत्कृष्ट, इसे निरंतर बनाए रखें
मानदंडों का 75% – 89% पालन	****	बहुत अच्छा
मानदंडों का 51% – 74% पालन	***	अच्छा, परंतु यहां थोड़े और सुधार की आवश्यकता है
मानदंडों का 35% – 50% पालन	**	अच्छा, लेकिन और सुधार की संभावना है
मानदंडों का 35% से कम पालन	*	खराब, विचारणीय सुधार की आवश्यकता है

* किसी पुरस्कार हेतु पात्र बनने के क्रम में प्रत्येक विद्यालय को हरेक मानदंड के अंतर्गत कम से कम तीन स्टार रेटिंग अंक प्राप्त करने होंगे।

** मानदंड जो हैं, वो अनुलग्नक-3 में दिए गए अनुसार संबंधित विद्यालय श्रेणी के लिए अधिकतम कुल अंकों का वर्णन करते हैं।

05 अध्याय | पुरस्कारों की श्रेणियां

पुरस्कारों को जनपद स्तर, राज्य एवं राष्ट्रीय पर वर्गीकृत किया जाता है।

(i) जनपद स्तर के पुरस्कारः सभी पांच सितारा (फाइव स्टार), चार सितारा (फोर स्टार) और तीन सितारा (थ्री स्टार) मूल्यांकित विद्यालयों के लिए खुले हैं

- संबंधित विभाग, जनपद में एसवीपी गतिविधियों के क्रियान्वयन का अवलोकन और समन्वयन करने के लिए जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।
- कट-ऑफ या अंतिम तिथि से पहले प्राप्त किए गए ऑनलाइन (वेब/मोबाइल) आवेदन-पत्रों की जांच एक ऐसी जनपद स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता जनपदाधिकारी (अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति) करेंगे और जिसमें एक जनपद शिक्षा अधिकारी, तीन विशिष्ट विद्यालय शिक्षक, एक अधीक्षण अभियंता (जलापूर्ति/पीएचडी), एक जनपद स्वास्थ्य अधिकारी और नागरिक समाज संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के दो सदस्य सम्मिलित होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रः
  - क) न्यूनतम तीन सितारा यानी थ्री स्टार के मूल्यांकन के साथ सर्वाधिक संपूर्ण अंक प्राप्त करने वाले तीन प्राथमिक एवं तीन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का जनपद स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा (कुल 6)
  - ख) इसके अतिरिक्त, मानदंड के अंतर्गत न्यूनतम पांच सितारा यानी फाइव स्टार के मूल्यांकन के साथ प्रत्येक उप-श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यालयों (दो प्राथमिक और एक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) का जनपद स्तर पर उप-श्रेणीवार पुरस्कारों हेतु चयन किया जाएगा (कुल 18)
- शहरी क्षेत्रः
  - क) न्यूनतम तीन सितारा यानी थ्री स्टार के मूल्यांकन के साथ सर्वाधिक संपूर्ण अंक प्राप्त करने वाले दो विद्यालयों (एक प्राथमिक एवं एक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) का जनपद स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा (कुल 2)
  - ख) इसके अतिरिक्त, मानदंड के अंतर्गत न्यूनतम पांच सितारा यानी फाइव स्टार के मूल्यांकन के साथ प्रत्येक उप-श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दो विद्यालयों (एक प्राथमिक और एक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) का जनपद स्तर पर उप-श्रेणीवार पुरस्कारों हेतु चयन किया जाएगा (कुल 12)
- जनपद स्तरीय समिति जो है वह जनपद में विद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों से युक्त एक दल द्वारा मनोनीत विद्यालयों का एक भौतिक सत्यापन संपन्न करवा सकती है। सत्यापन, मोबाइल ऐप के माध्यम से एक जांच-सूची का उपयोग कर और फोटो खींचकर किया जाएगा।
- सर्वाधिक संपूर्ण अंक प्राप्त करने वाला प्रत्येक चयनित विद्यालय (कुल 8) तथा प्रत्येक उप-श्रेणी के अंतर्गत सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला प्रत्येक विद्यालय को जनपद स्तर पर मान्यता प्रमाणपत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा, परंतु इसके लिए शर्त यह है कि पांच सितारा यानी फाइव स्टार के संपूर्ण मूल्यांकन वाले समस्त विद्यालयों को मान्यता का प्रमाणपत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा

तथा उन पर राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश पुरस्कारों हेतु विचार किया जाएगा।

- सर्वाधिक संपूर्ण अंक प्राप्त करने वाला प्रत्येक चयनित विद्यालय (कुल 8) तथा प्रत्येक उप-श्रेणी (इस पर ध्यान दिए बिना कि यह प्राथमिक/माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक से संबंधित है या ग्रामीण/शहरी है) के अंतर्गत सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले उप-श्रेणी स्तर पर (कुल 6 विद्यालय), राज्य स्तर हेतु पात्रता मानदंड के अनुरूप, राज्य स्तर के पुरस्कारों हेतु पात्र होने चाहिए।

(ii) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर के पुरस्कारः पांच सितारा (फाइव स्टार) और चार सितारा (फोर स्टार) मूल्यांकित विद्यालयों के लिए खुले हैं

- संबंधित विभाग, राज्य में एसबीपी गतिविधियों के क्रियान्वयन का अवलोकन और समन्वयन करने के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

- न्यूनतम चार सितारा (फोर स्टार) के संपूर्ण मूल्यांकन के साथ जनपद स्तरीय पुरस्कारों हेतु चयनित विद्यालयों पर ही राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय पुरस्कारों हेतु विचार किया जाएगा। यदि किसी जनपद में पांच सितारा (फाइव स्टार) मूल्यांकन वाले विद्यालयों की संख्या अधिक है तो इन सभी विद्यालयों का जो संपूर्ण पांचा सितारा (फाइव स्टार) मूल्यांकन होगा, उसी पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय पुरस्कारों हेतु विचार किया जाएगा।

- इन विद्यालयों की जांच एक ऐसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता राज्य शिक्षा सचिव अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेंगे और जिसमें एक निदेशक (शिक्षा), एक निदेशक (स्वास्थ्य), दो विशिष्ट विद्यालय प्रधानाचार्य (राज्य शिक्षा सचिव द्वारा चयनित), एक मुख्य अभियंता (जलापूर्ति/पीएचडी), एक निदेशक (पंचायती राज), एक निदेशक (शहरी स्थानीय निकाय) और सदस्यों के रूप में नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

- संपूर्ण अंक श्रेणी में – अधिकतम 20 विद्यालयों (6 प्राथमिक स्तर – ग्रामीण, 6 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर – ग्रामीण, 4 प्राथमिक स्तर – शहरी, 4 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर – शहरी) का राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर के पुरस्कारों हेतु चयन किया जाएगा।

- उप-श्रेणी स्तर में – अधिकतम 6 विद्यालयों (प्रत्येक उप-श्रेणी से 1 सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, इस पर ध्यान दिए बिना कि यह प्राथमिक/माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक से संबंधित है या ग्रामीण/शहरी क्षेत्र का है) का उप-श्रेणियों की किसी एक श्रेणी में उत्कृष्टता हेतु, परंतु संपूर्ण पुरस्कारों के अंतर्गत आवृत्त नहीं, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर के पुरस्कारों हेतु चयन किया जाएगा।

- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय समिति जो है वह जनपद में विद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों से युक्त एक दल द्वारा विद्यालयों का एक भौतिक

सत्यापन संपन्न करवा सकती है। सत्यापन, मोबाइल ऐप के माध्यम से एक जांच-सूची का उपयोग कर और फोटो खींचकर किया जाएगा।

- प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर चुने गए अधिकतम 20 विद्यालयों (संपूर्ण अंक श्रेणी) तथा 6 विद्यालयों (उप-श्रेणी) को मान्यता का एक प्रमाणपत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा।
- राज्य भी इन विद्यालयों को अपनी स्थिति को कायम रखने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु अतिरिक्त अनुदान/कोष प्रदान करने का निर्णय ले सकता है।
- संपूर्ण अंक श्रेणी में – प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से पांच सितारा (फाइव स्टार) मूल्यांकन वाले अधिकतम 20 विद्यालयों (6 प्राथमिक स्तर – ग्रामीण, 6 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर – ग्रामीण, 4 प्राथमिक स्तर – शहरी, 4 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर – शहरी), जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मानदंड के अनुरूप होंगे, का राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हेतु नामांकन पर विचार किया जाएगा।
- उप-श्रेणी स्तर में – अधिकतम 6, अर्थात्, कुल 6 सर्वश्रेष्ठ विद्यालय : प्रत्येक उप-श्रेणी से एक (1) सर्वश्रेष्ठ विद्यालय और जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मानदंड के अनुरूप हो, वही राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हेतु पात्र माना जाएगा/उसी के नामांकन पर विचार किया जाएगा।

(iii) राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार: केवल पांच सितारा (फाइव स्टार) मूल्यांकित विद्यालयों तथा विशेष पुरस्कारों की श्रेणियों हेतु आवेदन करने वाले विद्यालयों के लिए खुले हैं

- संपूर्ण अंक श्रेणी में – अधिकतम 40 विद्यालयों (10 प्राथमिक स्तर – ग्रामीण, 10 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर – ग्रामीण, 10 प्राथमिक स्तर – शहरी, 10 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर – शहरी) को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।
- उप-श्रेणी स्तर में – सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकतम 6 विद्यालयों (प्रत्येक उप-श्रेणी से 1 सर्वश्रेष्ठ विद्यालय) को उप-श्रेणियों की किसी एक श्रेणी में, परंतु संपूर्ण पुरस्कारों के अंतर्गत आवृत्त नहीं है, उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।
- प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से पांच सितारा (फाइव स्टार) मूल्यांकन वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर के पुरस्कारों (संपूर्ण अंक श्रेणी) हेतु चयनित अधिकतम 20 विद्यालयों और (उप-श्रेणी) में 6 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों हेतु योग्य समझा जाएगा। एक जांच-सूची का उपयोग कर और फोटो खींचकर तथा वीडियो बनाकर नामांकित विद्यालयों का 100% भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।

- एक जांच–सूची का उपयोग कर और फोटो खींचकर तथा वीडियो बनाकर नामांकित विद्यालयों का 100% भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।
- सचिव (विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता) की अध्यक्षता में गठित और संयुक्त सचिव (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय), संयुक्त निदेशक (विद्यालय शिक्षा), सदस्यों के रूप में विद्यालयों/द्विपक्षीय अभिकरणों/नागरिक समाज संगठनों के 3 विशेषज्ञों (सचिव, विद्यालयी एवं साक्षरता द्वारा नामांकित किए जाने वाले) से युक्त एक राष्ट्रीय स्तर की समिति, अंतिम पुरस्कार विजेताओं का निर्णय लेगी।
- अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के सर्वश्रेष्ठ 20 विद्यालयों को एक मान्यता प्रमाणपत्र के साथ अतिरिक्त विद्यालयी अनुदान के रूप में रु. 60,000/- पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे, जिस राशि का उपयोग समग्र शिक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार स्वच्छता एवं साफ-सफाई को सुधारने के लिए किया जाना है।
- अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक उप-श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ 1 विद्यालय (कुल 6 विद्यालय) को एक मान्यता प्रमाणपत्र के साथ अतिरिक्त विद्यालयी अनुदान के रूप में रु. 20,000/- पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे, जिस राशि का उपयोग स्वच्छता एवं साफ-सफाई को सुधारने के लिए समग्र शिक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना है।
- राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों का व्यय समग्र शिक्षा के अंतर्गत वहन किया जाएगा।
- मूल्यांकन प्रक्रिया का एक सारांश **अनुलग्नक-4** में दिया गया है।

06
अध्याय

पुरस्कार प्रक्रिया के चरण

1. जनवरी–मार्च 2022 — विद्यालयों द्वारा आवेदन-पत्रों को ऑनलाइन जमा करना

2. 1 अप्रैल – 15 मई 2022 — जिला स्तर पर पुरस्कारों के लिए चयन

3. 22 मई 2022 तक — राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर के पुरस्कारों के लिए चिन्हांकित विद्यालयों की सूचि जमा करना

4. 22 मई – 30 जून 2022 — राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर के पुरस्कारों के लिए विद्यालयों का चयन

5. 1 जुलाई – 7 जुलाई 2022 — राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए चिन्हांकित विद्यालयों की सूचि जमा करना

6. 7 जुलाई – 7 सितंबर 2022 — राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हांकित विद्यालयों की स्थिति का सत्यापन करना

7. 15 अक्टूबर 2022 (विश्व हाथ धुलाई दिवस) — राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार समारोह की संभावित तिथि

अनुलग्नक 1

विद्यालयी स्तर की जानकारी हेतु स्व-मूल्यांकन प्रारूप

खंड कः प्राथमिक जानकारी

क 1. यूडीआईएसई+ कोडः

क 2. विद्यालय का नाम एवं पताः

क 3. आवेदक का नामः

क 4. आवेदक का पदः

क) प्राचार्य / प्रधानाध्यापक

ख) विद्यालय के प्रभारी प्रधान

ग) अध्यापक

घ) विद्यालय के अन्य कर्मचारी

क 5. आवेदक के संपर्क विवरणः

क) विद्यालय का फोन नं:

ख) मोबाइल नं.:

ग) ईमेल आईडी :

क 6. विद्यालय प्रबंधन

क. शासकीय / सरकारी विद्यालय

उप-श्रेणीः क.1) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
ख.2) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

ख. शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय

ग. विनिर्दिष्ट (Specified) श्रेणी के विद्यालय

उप-श्रेणीः क.1) केंद्रीय विद्यालय
क.2) नवोदय विद्यालय (जेएनवी),
क.3) सैनिक स्कूल
क.4) विशिष्ट प्रकृति वाला कोई अन्य विद्यालय

घ. निजी / प्राइवेट विद्यालय

क 7. विद्यालय का प्रकार (उपयोग)

क. आवासीय

ख. गैर-आवासीय

क 8. विद्यालय की श्रेणी

क) कक्षा 1-5 के साथ केवल प्राथमिक

ख) कक्षा 1-8 के साथ उच्च प्राथमिक

ग) कक्षा 1-12 के साथ हायर सेकेंडरी

घ) कक्षा 6-8 के साथ केवल उच्च प्राथमिक

ङ) कक्षा 6-12 के साथ हायर सेकेंडरी

च) कक्षा 1-10 के साथ सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी

छ) कक्षा 6-10 के साथ सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी

ज) कक्षा 9 एवं 10 के साथ केवल सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी

झ) कक्षा 9-12 के साथ हायर सेकेंडरी

ञ) कक्षा 11 एवं 12 के साथ केवल हायर सेकेंडरी/केवल जूनियर कॉलेज

क 9. विद्यालय का प्रकार (बाल/बालिका)

क) केवल बालकों के लिए विद्यालय

ख) केवल बालिकाओं के लिए विद्यालय

ग) सह-शिक्षा

क 10. विद्यालय परिसरों का उपयोग

क) एकल विद्यालय – एकल पाली

ख) एकल विद्यालय – दो पाली

ग) अलग-अलग यूडीआईएसई+ कोड के साथ एक परिसर में अनेक विद्यालय

घ) एक विद्यालय, जो एक से अधिक परिसरों में संचालित होता है

यदि (बी), तो कृपया शेष प्रारूप का उत्तर केवल "एकल पाली" के लिए दें (प्रविष्टि हेतु उच्चतर नामांकन वाली पाली चुनें और केवल उसी पर समस्त आगामी जानकारियां भरें)

यदि (सी), तो कृपया शेष प्रारूप का उत्तर केवल उस "एकल विद्यालय" के लिए दें, जिसका यूडीआईएसई+ कोड प्रविष्ट कर दिया गया है

यदि (डी), तो कृपया शेष प्रारूप का उत्तर केवल उस "एक परिसर" के लिए दें, जिसमें अधिसंख्य विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है

क 11. विद्यालय की स्थापना का वर्ष:_____

क 12. विद्यालय का स्थान

क) ग्रामीण क्षेत्र

ख) शहरी क्षेत्र

क 13. बोर्ड का नाम

क) राज्य

ख) अन्य, बोर्ड का नाम लिखें_____ (संकेत: सीबीएसई, आईसीएसई, अंतर्राष्ट्रीय आदि)

क 14. विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या:

क) बालकों की संख्या

ख) बालिकाओं की संख्या

क 15. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की संख्या:

क) बालकों की संख्या

ख) बालिकाओं की संख्या

क 16. अध्यापकों और कर्मचारियों की संख्या:

क) पुरुषों की संख्या

ख) स्त्रियों की संख्या

क 17. क्या विद्यालय ने एसवीपी 2016-17 तथा/अथवा एसवीपी 2017-18 में विभिन्न स्तरों पर पुरस्कार जीते हैं? यदि जीते हैं, तो कृपया पुरस्कारों के स्तर और वर्ष(र्षों) का उल्लेख करें। स्थिति के अनुसार एक से अधिक उत्तर भी चुने जा सकते हैं:

एसवीपी 2016-17		एसवीपी 2017-18	
स्तर	उत्तर (हां/नहीं)	स्तर	उत्तर (हां/नहीं)
क. जनपद		घ. जनपद	
ख. राज्य		ङ. राज्य	
ग. राष्ट्रीय		च. राष्ट्रीय	

क 18. क्या विद्यालय ने – स्वच्छता एक्शन प्लान (एसएपी) विकसित एवं क्रियान्वित की है?

क. नहीं

ख. हां

क 19. क्या विद्यालय "स्कूलों में सतत जल, सफाई और स्वच्छता के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)" दस्तावेज के अनुसार मुख्य आवश्यकताओं से अवगत (परिचित) है (https://schooledn.py.gov.in/ssarmsa/pdf/SOP for WASH - 14-10-2021.pdf)?

क. नहीं

ख. हां

खंड खः मूल्यांकन श्रेणियां

जल

- सुरक्षित, पर्याप्त और विश्वसनीय पेयजल तक पहुंच
- शौचालय में और हाथ धोने के लिए उपयोग हेतु जल की उपलब्धता

प्रमुख सांकेतिक मानक और मापदंड (जल से संबंधित):

क्र.सं.	प्रावधान	अनावासीय	आवासीय
1	जल स्रोत	▪ विद्यालय परिसर के अंदर कम से कम एक समर्पित सुरक्षित पेयजल स्रोत (एसएसएचई) ▪ निर्धारित समय-सारणी के अनुसार पेयजल गुणवत्ता परीक्षण (एसएसएचई) ▪ जल स्रोत, शौचालय शोख्ता गड्ढा (लीच पिट) से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए (एसएसएचई)	
2	पेयजल आवश्यकता	▪ 1.5 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	▪ 5 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एसएसएचई)
		▪ आपातकालीन स्थिति के लिए टैंक में बफर स्टोरेज रिजर्व की क्षमता है (2 दिनों के लिए) (एसएसएचई)	
3	सामान्य जल आवश्यकता	▪ 45 लीटर प्रति व्यक्ति (डोमेस्टिक (व्यक्तिगत), फ्लशिंग हेतु)	▪ 135 लीटर प्रति व्यक्ति (डोमेस्टिक (व्यक्तिगत), फ्लशिंग हेतु)
4	उपयोग/धोने के लिए नल (ऐब्लूशन टैप)	▪ प्रत्येक शौचालय में एक	▪ प्रत्येक शौचालय में एक
5	पेयजल पॉइंट/बिंदु	▪ प्रत्येक 50 छात्रों के लिए 1(एक) अथवा तदनुसार	

स्रोतः

1. विद्यालय स्वच्छता ,एवं साफ-सफाई शिक्षा के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण, डीडीडब्ल्यूएस, पेयजल, आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, यूनिसेफ (भारत), (एसएसएचई) 2012
2. राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) 2016, भारतीय मानक ब्यूरो, भारत सरकार
3. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) 2013, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

सर्वेक्षण

1. विद्यालय परिसर में उपलब्ध पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है?
(कृपया अनेक पेयजल स्रोतो होने की स्थिति में, अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए गए स्रोत का चयन करें)

   क) पेयजल का कोई स्रोत विद्यालय परिसर में उपलब्ध नहीं है (विद्यार्थी घर से पेयजल लाते हैं/विद्यालय से बाहर के स्रोत का उपयोग करते हैं)

   ख) अपरिष्कृत (अनइम्प्रूव्ड) स्रोतः असुरक्षित – कुंआ/झरना (स्प्रिंग), सतही जलः झील, नदी, जल धारा/स्प्रिंग, तालाब, नहरें, सिंचाई की नालियां

   ग) परिष्कृत (इम्प्रूव्ड) स्रोतः हैंड पंप/बोर होल्स/ट्यूब वेल्स यानी नलकूप अथवा पैक किया गया जल (बोतलबंद/पाउच बंद), सुरक्षित-कुंआ/झरना/वर्षाजल संग्रहण/संचयन(एकत्रण), वितरित जल (टैंकर-ट्रकों/छोटे टैंक/ड्रम की गाड़ी द्वारा वितरित किया जाने वाला)।

   घ) पाइप/नल द्वारा जलापूर्ति

यदि (क) विकल्प चुनते हैं, तो फिर प्रश्न 2–6 आपके विद्यालय पर लागू नहीं होते हैं। अतः प्रश्न संख्या 7 देखें।

2. क्या इस जलापूर्ति स्रोत से पूरे वर्ष प्रतिदिन पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होता है (गैर-आवासीय विद्यालय में कम से कम 1–5 लीटर प्रति बच्चा प्रतिदिन तथा आवासीय विद्यालय में कम से कम 5 लीटर प्रति बच्चा प्रतिदिन),

   क) नहीं, उपलब्ध नहीं होता (वर्ष में 30 दिन से ज्यादा अनुपलब्ध)

   ख) अधिकतर उपलब्ध होता है (वर्ष में 30 दिन से कम अनुपलब्ध)

   ग) हां, (हमेशा)

3. अधिकांशतः विद्यार्थियों द्वारा पेयजल का भंडारण/संग्रहण और उपयोग कैसे किया जाता है?

   क) पेयजल का भंडारण करने के लिए कोई भंडारण-व्यवस्था नहीं है

   ख) केवल पात्र (कंटेनर)/मटका

   ग) ढक्कन और करछुल (डंडी के लोटे) के साथ पात्र/मटका

   घ) नल/टोंटी युक्त पात्र

   ड.) पेयजल नलों/पोइंटस के साथ छत की पानी टंकी

4. क्या पेयजल को उपयोग हेतु सुरक्षित बनाने के लिए इसका स्रोत पर नियमित शोधन/उपचार (ट्रीटमेंट) किया जाता है? (स्वच्छ पेयजल उपलब्धता)

   क) कोई शोधन उपचार नहीं किया जाता

   ख) छनन क्रिया (फिल्ट्रेशन)/सौर विसंक्रमण (सोलर डिसइन्फेक्शन)

   ग) उबालना/क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर मिश्रण से सोधन (क्लोरीनीकरण), जल स्रोत पर उपचारित – विद्यालय में किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है।

   घ) आधुनिक शोधन/उपचार (ट्रीटमेंट) इकाई (आर ओ, यूवी, माइक्रो-फिल्ट्रेशन आदि)

टिप्पणी: क्लोरिनेशन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगजनित कीटाणुओं से जल को कीटाणुमुक्त करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। अतः क्लोरीन मिलाने के लगभग 30 मिनट यानी आधे घंटे के बाद ही किसी व्यक्ति को जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे की प्रतीक्षा के बाद क्लोरीन मिले जल में मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन यानी फ्री रिजिजुअल क्लोरीन (एफआरसी) उपलब्ध हो। एफआरसी की सांद्रता 0–2 और 0–5 मिग्रा./ली. के बीच होनी चाहिए)।

5. क्या पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है (कृपया जैविक एवं रासायनिक परीक्षण की जानकारी की प्रति अपलोड करें)?

   क) कोई परीक्षण नहीं किया गया

   ख) एक वर्ष में एक बार परीक्षण किया गया

   ग) एक वर्ष में दो या अधिक बार परीक्षण किया गया

6. विद्यालय में कितने कार्यशील पेयजल बिंदु/पॉइंट्स हैं ?_____

टिप्पणी: विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में स्थित पेयजल स्थल/बिंदुओं की कुल संख्या की गणना करें। पेयजल स्थल/बिन्दुओं से तात्पर्य उस किसी एक स्थल/पॉइंट्स से है, जहां बच्चों को आवश्यकतानुसार पीने का जल उपलब्ध होता है। यह पेय जल बिंदु/पॉइंट्स– पाइप लगे नलों, जल प्रशीतकों (वाटर कूलर्स) और नल/टोंटी वाली बाल्टियों, तथा साफ-सुथरे/स्वच्छ घड़ों, तक ही सीमित नहीं हैं।

7. शौचालयों में उपयोग/डालने के लिए जल का मुख्य स्रोत क्या है?

क) कोई जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं है

ख) शौचालय इकाई के पास में हैंड पंप/बाल्टी

ग) शौचालय इकाई के अंदर स्थित जल का ड्रम/सीमेंट टंकियां/प्लास्टिक के पात्र/कंटेनर

घ) प्रत्येक शौचालय इकाई के अंदर नल के माध्यम से जल (रनिंग वाटर) की आपूर्ति

8. विद्यार्थियो और रसोइयों द्वारा मध्याह्न भोजन (एमडीएम)/दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने, के लिए जल का मुख्य स्रोत क्या है?

क) कोई जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं है

ख) हाथ धोने के स्थल/क्षेत्र के पास हैंड पंप/बाल्टी

ग) हाथ धोने के स्थल के पास जल का ड्रम/सीमेंट टंकियां/प्लास्टिक के पात्र/कंटेनर

घ) सभी हाथ धोने के स्थलों/बिन्दुओं पर नल के माध्यम से जल (रनिंग वाटर) की आपूर्ति

यदि (क) विकल्प चुनते हैं, तो फिर प्रश्न संख्या 24, 25 एवं 26 आपके विद्यालय पर लागू नहीं होते हैं।

9. क्या विद्यालय में कार्यशील वर्षा जल संचयन/संग्रहण की सुविधा है?

क) नहीं

ख) हां – भूजल पुनर्भरण/रिचार्ज व्यवस्था

ग) हां – वर्षाजल भंडारण/स्टोरेज व्यवस्था

घ) वर्षा जल भंडारण एवं भूजल पुनर्भरण दोनों व्यवस्थायें

शौचालय

- बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक कार्यशील शौचालयों की उपलब्धता
- बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक कार्यशील मूत्रालयों की उपलब्धता
- विशेष आवश्यकता वाले; दिव्यांगद्ध बच्चों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए कार्यशील शौचालय सुविधाएं

प्रमुख सांकेतिक मानक तथा मापदंड (शौचालय) :

क्र.सं.	प्रावधान	गैर-नावासीय विद्यालय	आवासीय विद्यालय
क.	शौचालय खंड/ब्लॉक		
1	शौचालय/स्क्वैटिंग पैन	▪ प्रत्येक 80 बालकों हेतु 1 इकाई, अथवा इसी अनुपात में (एसएसएचई) ▪ प्रत्येक 40 बालिकाओं हेतु 1 इकाई अथवा इसी अनुपात में (एसएसएचई)	▪ प्रत्येक 20 बालकों हेतु 1 इकाई अथवा इसी अनुपात में (एसएसएचई) ▪ प्रत्येक 20 बालिकाओं हेतु 1 इकाई अथवा इसी अनुपात में (एसएसएचई)
2	सीडब्ल्यूएसएन हेतु शौचालय	▪ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए बनाया गया कम से कम एक शौचालय (एसएसएचई)	▪ विशेष आवश्यकताओं वाले के लिए बनाया गया कम से कम एक शौचालय (एसएसएचई)
3	सुरक्षित मासिक-धर्म संबंधी अपशिष्ट निपटान (कचरा-भट्टी)	▪ मासिक-धर्म संबंधी उपयोग किए जा चुके अवशोषकों के सुरक्षित निपटान हेतु सुविधाएं (इन्सिनरेटर) एसएसएचई दिशानिर्देश, एमएचएम दिशानिर्देश)	
4	कपड़े टांगने वाली खूंटियां (हुक्स)	▪ प्रत्येक शौचालय में खूंटिया/हुक्स (कम से कम 2) (एसएसएचई)	
5	वायु-संचारण/वेंटिलेशन व्यवस्था	▪ उचित ऊंचाई एवं अवस्थिति पर प्रत्येक शौचालय (450 एमएम x 450 एमएम) में 1 खिड़की/वेंटिलेशन (एसएसएचई)	
6	सुरक्षित दरवाजा	▪ प्रत्येक उब्ल्यूसी में कुंडी वाला 1 दरवाजा (एसएसएचई)	
7	दीवाल पर ताखा/टांड/रैक (बालिकाओं के शौचालय में)	▪ बालिकाओं के प्रत्येक शौचालय में सैनेटरी नैपकींस रखने के लिए 1 ताखा/टांड/रैक (एसएसएचई)	
ख.	मूत्रालय खंड		
1	मूत्रालय	▪ 1 मूत्रालय प्रति 20 बालकों पर (एसएसएचई) ▪ 1 मूत्रालय प्रति 20 बालिकाओं पर (एसएसएचई)	
2	सेल्फ क्लिनिंग व्यवस्था	▪ प्रत्येक मूत्रालय में 1 जल-प्रवाहक व्यवस्था (फ्लशिंग सिस्टम) (एसएसएचई)	
3	वायु-संचारण/वेंटिलेशन व्यवस्था	▪ प्रत्येक मूत्रालय में वायु-संचारण हेतु 1 खिड़की/वेंटिलेशन	

स्रोत: एनबीसी 2016, एसएसएचई 2012 और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मासिक-धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देश, 2015

10. क्या विद्यालय में बालकों एवं बालिकाओं के लिए कार्यशील अलग-अलग शौचालय हैं?

क) बालकों और बालिकाओं में से किसी के लिए शौचालय इकाइयां नहीं हैं

ख) यदि सह-शिक्षा प्रणाली है, तो बालकों और बालिकाओं द्वारा एक ही शौचालय इकाई का उपयोग किया जाता है

ग) सभी बालकों/सभी बालिकाओं के विद्यालय में शौचालय इकाइयां हैं

घ) यदि सह-शिक्षा प्रणाली है, तो बालकों और बालिकाओं प्रत्येक के लिए कम से कम एक-एक शौचालय इकाई है

यदि (क) विकल्प चुनते हैं, तो प्रश्न संख्याएं 11–15 आपके विद्यालय पर लागू नहीं होती हैं। अतः प्रश्न संख्या 16 देखें।

यदि (ख) विकल्प चुनते हैं, तो प्रश्न संख्याएं 12 एवं 13 आपके विद्यालय पर लागू नहीं होती हैं।

11. विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला शौचालय अधिकांशतः किस प्रकार का है?

क) अपरिष्कृत (अनइम्प्रूव्ड) शौचालयः बना स्लैब का गड्ढे वाला शौचालय, लटकता हुआ/हैंगिंग शौचालय (टॉयलेट सीट/स्क्वैटिंग प्लेट किसी ड्रेन अथवा जल क्षेत्र/वाटर बाडी के ऊपर), बाल्टी/बकेट शौचालय

ख) परिष्कृत (इम्प्रूव्ड) शौचालयः फ्लश/पोरफ्लश– पानी डाल के उपयोग आने वाला फ्लश शौचालय, स्लैब के साथ गड्ढे वाला शौचालय (शौचालय के पल्ले/पैन में कम से कम 50 एमएम की जल सील अवश्य होनी चाहिए), कांपोस्टिंग शौचालय

12. विद्यालय में बालकों और बालिकाओं के लिए कितनी शौचालय सीटें हैं, जो सुचारू ढंग से कार्य कर रही (कार्यशील) हैं?

(कार्यशील शौचालयः शौचालय में जल उपलब्ध, न्यूनतम गंध (कोई दुर्गंध नहीं), अखंडित/बिना टूटी या चटकी सीट, नियमित रूप में साफ सूखी, कार्यशील मल निकास व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम, उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ, बंद कर सकने वाले दरवाजे)

क) बालकों के लिए.....

ख) बालिकाओं के लिए.....

13. विद्यालय में बालकों और बालिकाओं के लिए कितने मूत्रालय हैं, जो सुचारू ढंग से कार्य कर रहे (कार्यशील) हैं?

(कार्यशील मूत्रालयः स्मूथ/सहज सतह या– फर्श, निजता (प्राईवेसी)/दो मूत्रालयों के बीच आवरण द्वार यानी स्क्रीन डोर, दरें हेतु सही ढलान, (कोई दुर्गंध नहीं, समुचित ढंग से कार्यशील सोख्ता गड्ढा/सोक पिट, साफ-सफाई के लिए फ्लशिंग वाटर)

क) बालकों के लिए.....

ख) बालिकाओं के लिए.....

14. क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों यानी दिव्यांग (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सुलभ शौचालय हैं (सीडब्ल्यूएसएन के लिए एक सुलभ शौचालय से अभिप्राय ऐसे कार्यशील शौचालय से है जिसमें ढलाननुमा आवागमन मार्ग/रैंप, मार्ग के दोनों ओर हाथ से पकड़ी जाने वाली रेलिंग (हैण्ड रेल) और शौचालय के अंदर व्हीलचेयर को प्रवेश कराने हेतु चौड़े द्वार हों)?

क) शौचालय, सीडब्ल्यूएसएन के लिए सुलभ नहीं हैं

ख) सीडब्ल्यूएसएन के लिए रैंपए हैंडरेल के साथ कम से कम एक पृथक शौचालय है

ग) विद्यालय में सीडब्ल्यूएसएन के लिए रैंप, हैंडरेल और शौचालय में व्हीलचेयर के प्रवेश हेतु चौड़ा द्वार तथा शौचालय के अंदर सहायक संरचना की सुविधा के साथ कम से कम एक पृथक शौचालय है

15. क्या शौचालय और मूत्रालय सुविधा की ऊंचाई एवं आकार, विद्यालय आने वाले सभी आयु समूहों के बच्चों हेतु उपयुक्त है?

क) नहीं

ख) हां

16. क्या विद्यालय में अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय हैं?

क) कोई शौचालय नहीं है

ख) अध्यापकों और कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए एक पृथक शौचालय है

ग) पुरुष एवं महिला अध्यापकों/कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय हैं

घ) अध्यापक और कर्मचारीगण विद्यार्थियों के शौचालयों का उपयोग करते हैं

17. क्या विद्यालय में सभी शौचालयों में कुंडी और कपड़े टांगने की खूंटियों (हुक्स) के साथ सुरक्षित दरवाजे हैं?

क) नहीं

ख) केवल कुंडी/बोल्ट वाले दरवाजे

ग) कुंडी/बोल्ट और कपड़े टांगने की खूंटियों (हुक्स) के साथ दरवाजा

18. क्या सभी शौचालयों में छत और प्राकृतिक प्रकाश एवं हवा के लिए उचित रोशनदान/वेंटीलेशन है?

क) नहीं

ख) हां

19. क्या विद्यालय में मासिक-धर्म संबंधी अपशिष्ट के निपटान हेतु ढक्कन वाले और विशिष्ट रंगों वाले पृथक कूड़ादान हैं?

क) नहीं

ख) हां

20. विद्यालय द्वारा सैनेटरी अपशिष्ट के सुरक्षित उपचार (ट्रीटमेंट)/निपटान हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? (कार्यशील इन्सिनरेटर, जलाने के लिए एक सुझावित तापमान बनाकर रखता है, अथवा पर्याप्त सावधानियां बरतते हुए अपशिष्ट को गहरे गड्ढे में गाड़ देना)

क) कोई विशिष्ट उपाय नहीं किया जाता

ख) गहरे गाड़ने के लिए गड्ढा (डीप बेरीयल पिट) है

ग) एक स्थानीय मैन्यूअल भस्मक/इन्सिनरेटर में निपटाया जाता है

घ) एक विद्युतचालित भस्मक/इन्सिनरेटर में निपटाया जाता है

21. शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट/मल कीचड़ (फेकल स्लज) के निपटान हेतु मुख्य व्यवस्था क्या है?

क) कोई विशिष्ट उपाय नहीं/स्लज को खुले में डाला जाता है

ख) खुली नालियां अथवा बिना/टूटे ढक्कन(कवर) वाले सेप्टिक टैंक

ग) मजबूत और ठोस ढक्कन/कवर वाले लीच पिट में (मक्खियों से संपर्क/आकस्मिक अतिप्रवाह (फैलने) से बचाव हेतु)

घ) मजबूत और ठोस ढक्कन वाले सेप्टिक टैंक/जैव-शौचालय (बायो-टॉयलेट)/सीवर लाइन

साबुन से हाथ धोना

- शौचालय के उपयोग करने के बाद साबुन से हाथ धोने हेतु कार्यशील हाथ धुलाई सुविधा
- भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने हेतु कार्यशील हाथ धुलाई सुविधा

प्रमुख सांकेतिक मानक तथा मापदंड (साबुन से हाथ धुलाई):

क्र.सं.	प्रावधान	गैर-आवासीय विद्यालय	आवासीय विद्यालय
1.	हाथ धुलाई बिंदु	▪ प्रत्येक 20 बच्चों हेतु एक (एसएसएचई)	▪ प्रत्येक 20 बच्चों हेतु 1 स्थल या स्थान (एसएसएचई)
2.	साबुन के साथ साबुन ट्रे	प्रत्येक 2 हाथ धुलाई पॉइंट/बिन्दु पर 1 ट्रे (एसएसएचई)	

स्रोतः एसएसएचई 2012

22. क्या विद्यालय में शौचालय के उपयोग के बाद हाथ धोने की सुविधा है?
   - क) शौचालय इकाइयों के निकट (जल प्रावधान के साथ) हाथ धोने की कोई सुविधा नहीं है
   - ख) शौचालय इकाइयों के निकट (जल प्रावधान के साथ) वाश बेसिन अथवा हाथ धोने का स्थान/स्थल
   - ग) वाश बेसिन (हैंडपंप, बाल्टी, ड्रम आदि के माध्यम से जल के प्रावधान के साथ), प्रत्येक शौचालय इकाई के अन्दर या साथ में संलग्न है।
   - घ) वाश बेसिन (रनिंग वाटर के साथ) प्रत्येक शौचालय इकाई के अन्दर या साथ में संलग्न है।

यदि (क) का विकल्प चुनते हैं, तो प्रश्न संख्या 23 आपके विद्यालय पर लागू नहीं होती है। अतः, कृपया प्रश्न 24 देखें।

23. क्या विद्यालय, शौचालयों के उपयोग के बाद हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराता है?
   - क) कोई साबुन उपलब्ध नहीं कराया जाता है
   - ख) साबुनों को निगरानी में रखा जाता है और मांग पर उपलब्ध होते हैं
   - ग) सभी हाथ धोने के स्थलों/स्थानों पर हर समय साबुन उपलब्ध होते हैं

24. क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन (एमडीएम)/दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने की सुविधा है, जब बच्चों का समूह एक ही समय पर हाथ धोने का कार्य कर सके ?

क) हाथ धोने की कोई सुविधा नहीं है

ख) हां, हैंडपंप/बाल्टी के जल से हाथ धोने की सुविधा है

ग) हां, नल के जल से हाथ धोने की सुविधा है; नलों की संख्या लिखें .....

यदि (क) का विकल्प चुनते हैं, तो प्रश्न संख्या 25–27 आपके विद्यालय पर लागू नहीं होती है। अतः, कृपया प्रश्न 28 देखें।

25. क्या विद्यालय मध्याह्न भोजन (एमडीएम)/दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराता है?

क) कोई साबुन उपलब्ध नहीं करा या जाना है

ख) साबुनों को निगरानी में रखा जाता है और मांग पर उपलब्ध होते हैं

ग) सभी हाथ धोने के स्थलों/स्थानों पर हर समय साबुन उपलब्ध होते हैं

26. क्या सभी बच्चे मध्याह्न भोजन (एमडीएम)/दोपहर के भोजन से पहले साबुन से अपने हाथ धोते हैं?

क) नहीं, सभी बच्चे साबुन से अपने हाथ नहीं धोते हैं

ख) हां, सभी बच्चे साबुन से अपने हाथ धोते हैं

27. क्या विद्यालय में हाथ धोने की सुविधाओं की ऊंचाई सभी आयु समूहों के बच्चों हेतु उपयुक्त है?

क) नहीं

ख) हां

संचालन चालन एवं रख-रखाव

- गीले अपशिष्ट (प्राकृतिक विधि से सड़ने वाला/बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट), शुष्क अपशिष्ट (अप्राकृतिक विधि से सड़ने वाला नान-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट) और तरल अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान
- विद्यालयी पर्यावरण/वातावरण की साफ-सफाई और रख-रखाव

28. क्या विद्यालय अपशिष्ट/कचरे के संग्रहण हेतु कक्षा, रसोई और अन्य उपयुक्त शौचालय स्थलों पर कूड़ादान (डस्टबिन) उपलब्ध कराता है?
    क) नहीं
    ख) हां

29. क्या विद्यालय गीले अपशिष्ट (प्राकृतिक विधि से सड़ने वाला/बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट) तथा सूखे अपशिष्ट (नान-बायोडिग्रेडेबल) को अलग-अलग करता है?
    क) नहीं
    ख) हां

30. विद्यालय अपने प्राकृतिक विधि से सड़ने वाले अपशिष्ट (गीले/बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट) की खाद/कम्पोस्ट कैसे बनाता है?
    क) कोई विशिष्ट विधि नहीं अपनाई जाती
    ख) हां, किसी के द्वारा खाद बनाने के लिए अपशिष्ट उठा लिया जाता है
    ग) हां, विद्यालय परिसर में ही खाद बनती है

31. विद्यालय अपने नान-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट (शुष्क अपशिष्ट) का निपटान कैसे करता है?
    क) निपटान की कोई विशिष्ट विधि नहीं है/कहीं भी फेंक दिया जाता है/परिसर के एक ओर/समीपस्थ स्थान पर फेंक दिया जाता है/विद्यालय परिसर में जला दिया जाता है
    ख) विद्यालय परिसरों में जमीन में दबा दिया जाता है
    ग) नगरपालिका/पंचायत द्वारा संग्रहित किया जाता है

32. क्या विद्यालय परिसर साफ-स्वच्छ (कूड़ा-करकट की गंदगी से मुक्त) हैं?
    क) नहीं
    ख) हां

33. क्या विद्यालय परिसर जल भराव से मुक्त हैं?

क) नहीं

ख) हां

34. क्या विद्यालय परिसर में पोषण उद्यान (न्यूट्रिशन गार्डन) हैं?

क) नहीं

ख) हां

35. क्या कक्षा-स्थलो (क्लासरूमों) और शिक्षण क्षेत्रों को प्रतिदिन साफ किया जाता है?

क) नहीं

ख) हां

36. शौचालयों सफाई का अंतराल (frequency) क्या है?

क) कोई समय-सारणी निर्धारित नहीं है

ख) सप्ताह में एक बार

ग) सप्ताह में दो बार

घ) प्रतिदिन

37. क्या शौचालयों को उपयुक्त साफ-सफाई सामग्री से साफ किया जाता है?

क केवल जल से साफ किए जाते हैं

ख) एक माह में कम से कम एक बार साबुन के झाग-घोल और कीटाणुनाशक द्रव्य से साफ किए जाते हैं

ग) एक सप्ताह में कम से कम दो बार साबुन के झाग-घोल और कीटाणुनाशक द्रव्य से साफ किए जाते हैं

घ) प्रतिदिन साबुन के झाग-घोल और कीटाणुनाशक द्रव्य से साफ किए जाते हैं

38. विद्यालय में शौचालयों की साफ-सफाई और रख-रखाव का निरीक्षण कौन करता है?

क) विशेष रूप में कोई नहीं करता

ख) अध्यापकों, कर्मचारियों और बाल संसद के सदस्यों का दल

39. क्या विद्यालय नियमित शौचालयों की फिटिंग और फिक्सचर आदि जैसे कि नलकों, जलप्रवाह टंकी (फ्लशिंग सिस्टर्न), जल-निकास पाइपों, छतावस्थित टंकी (ओवरहेड टैंक), वाश बेसिन आदि के रख-रखाव/अनुरक्षण का ध्यान रखता है?

क) नहीं, फिटिंग्स और फिक्सचर्स सुचारू ढंग से कार्य नहीं करते

ख) हां, फिटिंग्स और फिक्सचर्स सुचारू ढंग से कार्य करते हैं

40. क्या विद्यालय प्रबंधन समिति अपनी मासिक बैठकों में विद्यालय के वाश (WASH), संचालन तथा रखरखाव (जल, शौचालय, हाथ धुलाई सुविधाओं की कार्यशीलता और सामान्य साफ-सफाई) से संबंधित विषयों की समीक्षा करने और संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्रिय भूमिका निभाती है?

क) नहीं, कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाती

ख) हां, नियमित रूप से सक्रिय भूमिका निभाती है

व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण

- विद्यार्थियों और मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों द्वारा अपनाये जाने वाले स्वच्छता व्यवहार/प्रथायें
- विद्यालय में स्वच्छता की शिक्षा

41. क्या विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षित हैं?
    क) नहीं
    ख) हां

42. क्या चाइल्ड कैबिनेट (बाल संसद)/विद्यार्थियों के नेतृत्व वाला संगठन, समूह अथवा क्लब, स्वच्छता और साफ-सफाई गतिविधियों/प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?
    क) नहीं
    ख) हां

43. मध्याह्न भोजन (एमडीएम)/दोपहर के भोजन से पहले विद्यार्थियों और रसोइयों (कुक) द्वारा प्रतिदिन साबुन से हाथ धोने की गतिविधि का निरीक्षण कौन करता है?
    क) कोई भी निरीक्षण नहीं करता है
    ख) शिक्षक/कर्मचारी
    ग) शिक्षकों और कर्मचारियों का समर्पित दल
    घ) शिक्षकों/कर्मचारियों और बाल संसद के सदस्यों का समर्पित दल

44. क्या विद्यालय में प्रातःकालीन सभा/असेंबली के दौरान और विद्यालय स्कूल क्लब/बाल संसद/विद्यार्थियों की अन्य नियमित सभाओं और समारोहों में हाथ धुलाई विषय पर विशेष जागरूकता सहित, सुरक्षित साफ-सफाई और स्वच्छता शिक्षा प्रदान की जाती है?
    क) नहीं
    ख) हां

45. क्या उपयुक्त आयु के विद्यार्थियों के साथ मासिक-धर्म संबंधी स्वास्थ्य प्रबंधन पर नियमित रूप में चर्चा-परिचर्चा की जाती है अथवा उन्हें इस बारे में शिक्षित किया जाता है (3 माह में कम से कम एक बार)?

क) नहीं

ख) केवल लड़कियों से चर्चा की जाती है

ग) लड़कियों और लड़कों दोनों से चर्चा की जाती है

46. क्या विद्यालय साफ-सफाई, स्वच्छता शिक्षा पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं (निबंध-लेखन, चित्रकला, वाद-विवाद) का संचालन-आयोजन करता है?

क) नहीं करता/कभी-कभार करता है

ख) हां, करता है– वर्ष में आवधिक रूप से (समय-समय पे)

47. क्या विद्यालय पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टरों और सामग्रियों का प्रदर्शन व उपयोग करता है?

क) नहीं

ख) हां

कोविड–19 से बचाव के उपाय

- विद्यालय समुदाय (विद्यार्थी, शिक्षक, सहायक कर्मचारी-वर्ग, एसएमसी/एसएमडीसी सदस्य, माता-पिता यानि अभिभावकगण/देखभालकर्ता, ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय सदस्य) कोविड-19 के प्रमुख निवारक एवं तैयारी उपायों के बारे में पूर्णतः अवगत है
- विद्यालय समुदाय, विद्यालय संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में निवारण एवं तैयारी हेतु मानक

48. क्या विद्यालय (विद्यार्थी, अध्यापक, सहायक कर्मचारी और एसएमसी) के पास कोई सुरक्षा एवं स्वच्छता (सेफ्टी एंड हाइजीन) योजना है और क्या विद्यालय कोविड को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य, स्वच्छता व सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स का कठोरतापूर्वक अनुसरण करता है?

क) नहीं

ख) हां

49. क्या विद्यार्थी, शिक्षक, सहायक कर्मचारी और देखभालकर्ता विद्यालय संचालन के पूरे समय में पूर्णरूपेण (विद्यालय परिवहन, यदि कोई हो, के उपयोग के दौरान, सहित) "फेस कवर/मास्क" के उपयोग का कठोरतापूर्वक पालन करते हैं?

क) कभी-कभार पालन करते हैं/कभी पालन नहीं करते

ख) हर समय पालन करते हैं

(सार्वजनिक स्थानों; कार्यालय स्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना कोविड-19 संक्रमण को रोकने के प्रमुख उपायों में से एक है। मुंह, नाक व ठुड्डी (चिन) को पूरी तरह ढकने योग्य फेस कवर/मास्क प्राथमिकता के रूप में "स्वच्छ सूती/काटन वस्त्र" से निर्मित हो, और विद्यार्थियों के मुंह पर उपयुक्त ढंग फिट हों। फेस कवर/मास्क व्यक्तिगत उपयोग के लिए होने चाहिए और इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहि, ।)

50. क्या विद्यालय, दैनिक विद्यालयी संचालन गतिविधियों की समयावधि में सुरक्षित शारीरिक/सामाजिक दूरी (2 गज (6 फीट)) के नियम का कठोर पालन-अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम रहा है?

क) नहीं

ख) हां, कक्षा समयावधि में, दोपहर भोजन की समयावधि में, सार्वजनिक (कामन) सुविधाओं के उपयोग के दौरान, सामान्य गतिविधियों में भाग लेने एवं परिवहन के दौरान नियम का पालन करने में सक्षम रहा है

(व्यक्तियों को कोविड-19 के संक्रमण का जोखिम कम करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर 6 फुट (2 गज की दूरी) की न्यूनतम दूरी अवश्य बनाए रखनी चाहिए)

51. क्या विद्यालय कठोरतापूर्वक और पूरी तरह से सुनिश्चित करता है कि विद्यालय (विद्यालय परिवहन सहित, यदि कोई हो) में कोई खुले में न थूके?

क) नहीं

ख) हां

(कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए विद्यालय में हर समय थूकने की गंदी आदत पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए)

52. क्या सभी विद्यार्थी, शिक्षक और सहायक कर्मचारी विद्यालयी संचालन (विद्यालय परिवहन सहित, यदि कोई हो) की समयावधि में कठोर श्वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन करते हैं?

क) नहीं (कुछ व्यक्ति ही पालन करते हैं)

ख) हां (सभी व्यक्ति पालन करते हैं)

श्वसन शिष्टाचार में–खांसते/छींकते समय किसी व्यक्ति के मुंह और नाक को टिश्यू पेपर/रुमाल से/कोहनी मोड़कर बाजू से ढकें और उपयोग किए टिश्यू पेपर को एक बंद ढक्कनयुक्त कूड़ेदान में डालें, तथा छींकने व खांसने के तुरंत बाद हाथों को धोयें। विद्यालय में तथा कहीं और (परिवहन आदि की समयावधि में) बच्चों, अध्यापकों और कर्मचारियों द्वारा अपनाए जाने वाले अच्छे श्वसन स्वच्छता संबंधी व्यवहार कोविड-19 संक्रमण को रोकने में सहायक होते हैं।)

53. क्या विद्यालय की, साफ-सफाई (हाथ धोने के लिए साबुन सहित) और कीटाणुनाशक सामग्री की आपूर्ति (फर्श और निरंतर स्पर्श की जाने वाली सतह की प्रभावी साफ-सफाई के लिए) तक सुनिश्चित पहुंच है?

क) नहीं

ख) हां

(साफ-सफाई और कीटाणुनाशक सामग्री में निम्न सामग्री सम्मिलित हैं – हाथ धोने के लिए साबुन, साबुन पाउडर/डिटर्जेंट, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट अथवा फेनोलिक कीटाणुनाशक)

54. क्या विद्यालय की, महत्वपूर्ण वाश आपूर्ति (स्टॉक) के रूप में व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (स्वच्छता कर्मचारियों, एमडीएम दल, आपातकालीन आवश्यकता के लिए) तक सुनिश्चित पहुंच है?

क) नहीं

ख) हां

(व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) – डिस्पोजेबल रबड़ बूट, दस्ताने (अत्यधिक टिकाऊ/ड्यूटी), डिस्पोजेबल सुरक्षात्मक दस्ताने, तीन परत की मुखपट्टी वाले (ट्रिपल लेयर) मास्क, एप्रन्स, टोपी आदि)

55. क्या विद्यालय में, साफ-सफाई उपकरणों (पोछों, झाड़ुओं, कपड़ों, छिड़काव (स्प्रे), सफाई के रगड़ने वाले ब्रश/बाल्टी, ढके हुए कूड़ादान आदि) की आपूर्ति सुनिश्चित है?

क) नहीं

ख) हां

56. विद्यालय में सभी फर्शों (कक्षाओं, गलियारों, रसोईघर, भंडारगृह और अन्य प्रमुख सार्वजनिक (कामन) क्षेत्रों/स्थानों) के लिए साफ-सफाई कितनी बार की जाती है?

क) कोई विशिष्टि आवृत्ति (Frequency) नहीं है

ख) एक सप्ताह में कम से कम दो बार

ग) प्रतिदिन

57. बार-बार – स्पर्श की जाने वाली अन्य सतहों जैसे फर्नीचर (कुर्सियां, टेबल, अलमारी), दरवाजे के हत्थे, हैंडल, स्विच, रेलिंग, खेल के सामान, दोपहर के भोजन की टेबलें, खेल उपकरण, खिलौने, शिक्षण एवं सहायक सामग्रियां आदि को कीटाणुनाशकों (डिसिन्फेक्टन्ट) से साफ करने की आवृत्ति क्या है?

क) कोई विशिष्ट आवृत्ति नहीं है

ख) एक सप्ताह में कम से कम दो बार

ग) प्रतिदिन

58. **क्या विद्यालय में संदिग्ध मामलों (सस्पेक्टड केसेस) के लिए एक अलग आइसोलेशन रूम है? (विद्यार्थी/शिक्षक/कर्मचारी में बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई देने की स्थिति में तैयारी के उपाय के रूप में)**

क) नहीं

ख) हां

(सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य का स्व-निरीक्षण/निगरानी करना और किसी भी लक्षण के बारे में शीघ्रातिशीघ्र सूचना देने का कार्य कोविड-19 के विरुद्ध प्रमुख निवारक उपायों में से एक है। विद्यालय के संदर्भ में देखें–विचार करें तो "अलग आइसोलेशन रूम" एक ऐसे कक्ष/क्षेत्र के रूप में (अस्थायी रूप में) चिह्नित होता है, जिसका उपयोग, उस स्थिति में जब विद्यालय संचालन की समयावधि में किसी व्यक्ति में रोग के लक्षण उभरते हैं, बीमार व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग से रखने-ठहराने के लिए किया जा सकता है। यह पूर्वचिह्नित अलग आइसोलेशन कक्ष बच्चों/अध्यापकों/कर्मचारियों को, चिकित्सा देखभाल प्राप्त होने से पूर्व, सुरक्षित ढंग से प्रतीक्षा करने का क्षेत्र उपलब्ध कराता है)

59. **क्या विद्यालय ने प्रमुख निवारक उपायों का पालन करने के उद्देश्य से प्रमुख स्थानों पर एवं संवेदीकरण सत्रों/व्याख्यानों में पर्याप्त कोविड-19 विशिष्ट बालोपयुक्त आईईसी सामग्रियों एवं टूल्स का उपयोग (प्रदर्शन) किया है।**

क) विद्यालय ने पर्याप्त कोविड-19 संदेशों/आईईसी सामग्रियों एवं टूल्स का उपयोग (प्रदर्शन) नहीं किया है

ख) हां, विद्यालय ने प्रदर्शन/उपयोग किया है (सत्र/व्याख्यान हेतु प्रामाणिक शासकीय स्रोत के माध्यम से मोबाइल/वेब आधारित– पोस्टर, दृश्य-श्रव्य/पठन-पाठन/शिक्षण सामग्री का उपयोग करने सहित)

(इसके अन्तर्गत, शासन (एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारी विभाग) द्वारा अनुमोदित विविध चयनित संदेशों सहित विद्यालय में प्रमुख आईईसी सामग्री आती हैं। स्थानीय संदर्भ एवं भाषा में उल्लिखित यह संदेश यदि प्रमुख सुसंगत विनिर्दिष्ट स्थलों/स्थानों (जैसे कि प्रवेश, दीवाल, गलियारों, गैलरियों, कक्षा-स्थलों, जल, स्वच्छता एवं हाथ धोने की साफ-सफाई वाली सुविधाओं के समीप, रसोईघर) पर लगाए जाएं तो एक व्यक्ति के व्यवहार, अनुपालन को बढ़ा सकते हैं। स्थल या स्थान-विनिर्दिष्ट संदेशों में निम्नलिखित विषय-बिंदुओं का निश्रण हो सकता है – कोविड-19 संक्रमण प्रसार मार्ग, क्या करें और क्या न करें, लक्षण (कोविड-19), फेस कवर/मास्क का उपयोग, शारीरिक दूरी बनाना, हाथों की साफ-सफाई (चरण, महत्वपूर्ण समय/क्षण), /वसन संबंधी स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल का सुरक्षित उपयोग, बालिका एवं सीडब्ल्यूएसएन (दिव्यांग बच्चे) के अनुकूल प्रावधान, वाश सुविधाओं का संचालन, रख-रखाव व अनुरक्षण। बच्चों द्वारा विकसित पोस्टर्स एवं प्रचार-सामग्री आदि को भी विद्यालयों की महत्वपूर्ण आईईसी गतिविधियों में माना जाता है।)

चित्र

क) विद्यालय और परिसरों का सामने का दृश्य

ख) विद्यालय अहाता, प्रांगणों की संपूर्ण स्वच्छता/साफ-सफाई का दर्शन-प्रदर्शन

ग) बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक कार्यशील शौचालय (2 चित्र)

घ) सीडब्ल्यूएसएन यानी दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यशील शौचालय

ङ) विद्यालय में पोषण उद्यान (न्यूट्रिशन गार्डन)

च) स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट के निपटान हेतु इन्सिनरेटर/गड्ढे में दबाने की प्रणाली व्यवस्था

छ) शौचालयों के उपयोग के बाद और मध्याह्न भोजन/दोपहर के भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की सुविधाएं (1 चित्र प्रत्येक का)

ज) जल गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

झ) शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र/प्रलेख

फोटो निजता/प्राइवेसी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर, इस प्रकार से खींचे जाने चाहिए कि इनमें बच्चे और अध्यापकगण अपनी-अपनी सामान्य विद्यालयी दिनचर्या में व्यस्त दिखाई देते हों।

"सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
एक ओ टीपी रजिस्टर्ड ईमेल पर प्राप्त होगा।
विद्यालय एसवीपी आवेदन को पूरा करने के लिए ओटीपी को टाइप करेगा।
स्क्रीन पर एक संदेश "सफल सबमिशन (successful submission)" की सूचना देगा ।

अनुलग्नक 2

संकेतकों की सूची

क्र.सं.	श्रेणियां	संकेतक
I	जल	सुरक्षित, पर्याप्त और विश्वसनीय पेयजल तक पहुंच
		शौचालय में एवं हाथ धोने में उपयोग हेतु जल की उपलब्धता
II	शौचालय	बालकों और बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक कार्यशील शौचालयों की उपलब्धता
		बालकों और बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक कार्यशील मूत्रालयों की उपलब्धता
		विशेष आवश्यकताओं वाले (दिव्यांग) बच्चों, अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए कार्यशील शौचालय सुविधाएं
III	साबुन से हाथ धोना	शौचालय के उपयोग के बाद हेतु कार्यशील हाथ धोने की सुविधाएं
		भोजन से पहले उपयोग हेतु कार्यशील हाथ धोने की सुविधाएं
IV	संचालन-प्रचालन एवं रख-रखाव	गीले अपशिष्ट (प्राकृतिक रूप में सड़ने वाला/बायोडिग्रेडेवल अपशिष्ट), शुष्क अपशिष्ट (नान-बायोडिग्रेडेवल, अपशिष्ट) और तरल अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान
		विद्यालयी पर्यावरण-वातावरण की साफ-सफाई और रख-रखाव
V	व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण	विद्यालय में स्वच्छता शिक्षा
		विद्यार्थियों और मध्याह्न भोजन (एमडीएम)/दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोइयों द्वारा अपनाए जाने वाले स्वच्छता कार्य-व्यवहार/प्रथायें
VI	कोविड 19 (तैयारी एवं प्रतिक्रिया)	विद्यालय समुदाय (विद्यार्थी, शिक्षक, सहायक कर्मचारी, एसएमसी/एसएमडीसी सदस्य, माता-पिता यानि अभिभावक/देखभालकर्ता, ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय सदस्यगण) कोविड-19 के विरुद्ध अपनाए जाने वाले प्रमुख निवारक, तैयारी एवं प्रतिक्रिया उपायों के बारे में पूर्णतः अवगत है।
		विद्यालय समुदाय, विद्यालयी संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में निवारण एवं तैयारी हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाओं/प्रोटोकॉल्स/व्यवहारों का पालन करते हैं।

अनुलग्नक 3

अंक प्राप्त करने की विधि

आकलन श्रेणियां	अधिकतम अंक
जल (प्रश्न 1–9)	22
शौचालय (प्रश्न 10–21)	27
साबुन से हाथ धोना (प्रश्न 22–27)	14
संचालन-प्रचालन एवं रख-रखाव (प्रश्न 28–40)	21
यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण (प्रश्न 40–47)	11
कोविड-19, उत्तरदायी यानी प्रतिक्रियात्मक व्यवहार (प्रश्न 48–59)	15
कुल	**110**
विद्यालयों की श्रेणी	अधिकतम अंक
सह-शिक्षा, यूपी, एचएस, एस	110
सह-शिक्षा, पीएस (प्रश्न 19, 20, 45 सुसंगत नहीं हैं)	105
सभी बालकों के विद्यालय (प्रश्न 12बी, 13बी, 19, 20, 45 सुसंगत नहीं हैं)	101
सभी बालिकाओं के विद्यालय, पीएस (प्रश्न 12ए, 13ए, 19, 20, 45 सुसंगत नहीं हैं)	101
सभी बालिकाएं, यूपी, एचएस, एस (प्रश्न 12ए, 13ए, 45सी सुसंगत नहीं हैं)	105

अनुलग्नक 4

मूल्यांकन प्रक्रिया (जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर)

4.1 जिला स्तरीय पुरस्कारः पुरस्कारों की संख्या तथा सुझाई गई प्रक्रियाः

3 स्टार वाले और इससे अधिक स्टार मूल्यांकन/रेटिंग वाले (स्व-आकलन के अनुसार) सभी विद्यालय जिला स्तरीय पुरस्कार हेतु पात्र होंगे, और जिला स्तरीय समिति नीचे दी गई प्रक्रियानुसार जिला स्तर के पुरस्कार पर अंतिम निर्णय लेने के लिए ऐसे उक्त सभी विद्यालयों का सत्यापन करेगी:

स्थान/क्षेत्र	जिला स्तरीय पुरस्कार (3 स्टार एवं इससे अधिक स्टार मूल्यांकन वाले विद्यालयों हेतु खुला है)		
	संपूर्ण अंक (ओवरआल स्कोर आधारित	उप-श्रेणी स्तर का पुरस्कार	कुल
ग्रामीण पुरस्कार	6 (3 प्राथमिक + 3 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	18 (12 प्राथमिक + 6 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	**24**
शहरी पुरस्कार	2 (1 प्राथमिक + 3 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	12 (6 प्राथमिक + 6 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	**14**
कुल पुरस्कार	**8**	**30**	**38**
मानदंड (जिला स्तरीय पुरस्कारों हेतु पात्रता)	तीन स्टार एवं इससे अधिक स्टार मूल्यांकन वाले विद्यालय	उप-श्रेणी में न्यूनतम पांच स्टार के मूल्यांकन के साथ प्रत्येक उप-श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले (कुल 6)	
प्रक्रिया ↓	*जिला स्तरीय समिति (अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों) द्वारा 3 स्टार एवं इससे अधिक स्टार मूल्यांकन वाले सभी विद्यालयों में से पात्र विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा		
1. जिला स्तरीय समिति – आवेदन कर चुके विद्यालयों में से सभी पात्र विद्यालयों की सूची निकाल कर अलग करेगी। ↓	विद्यालय के स्व-आकलन के अनुसार 3 स्टार एवं इससे अधिक स्टार का मूल्यांकन (प्रत्येक श्रेणी हेतु – ग्रामीण, शहरी, प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	विद्यालय के स्व-आकलन में संबंधित "उप-श्रेणी" में 5-स्टार के मूल्यांकन वाला विद्यालय (प्रत्येक श्रेणी हेतु – ग्रामीण, शहरी, प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	
2. समिति, विद्यालय का उचित सत्यापन करने हेतु संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं को प्रक्रिया के बारे में ओरिएंटेशन के साथ पात्र विद्यालयों की एक सूची सौंपेगी, (एक समय-सीमा के साथ) ↓	✓	✓	

स्थान/क्षेत्र	जिला स्तरीय पुरस्कार (3 स्टार एवं इससे अधिक स्टार मूल्यांकन वाले विद्यालयों हेतु खुला है)		
	संपूर्ण अंक (ओवरआल स्कोर आधारित	उप-श्रेणी स्तर का पुरस्कार	कुल
3. नियुक्त मूल्यांकनकर्ता, नियत विद्यालयों का भौतिक सत्यापन (स्व-आंकलन अंक के समक्ष) संचालित करेंगे, तथा प्रत्येक प्रश्न एवं विद्यालय हेतु अंक अद्यतन करेंगे ↓	✓	✓	
4. सिस्टम/प्रणाली, सत्यापन के अनुसार स्कोर तथा स्टार मूल्यांकन की पुनर्गणना करेगी (इसके परिणामस्वरूप स्टार मूल्यांकन बेहतर, कम अथवा अपरिवर्तनीय हो सकता है) ↓	✓	✓	
5. जिला स्तरीय समिति, मूल्यांकन मानदंड एवं श्रेणी पर विचार करते हुए पुरस्कार हेतु अंतिम अंक के अनुसार सर्वाधिक अंक प्राप्त करन वाले विद्यालय का चयन एवं अनुमोदन करेगी ↓	✓	✓	
6. जिला, निम्नलिखित के अनुसार विद्यालयों का अनुमोदन करेगा–			
6क. जनपद स्तरीय पुरस्कारों हेतु	–6 ग्रामीण (3 प्राथमिक + 3 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) –2 शहरी (1 प्राथमिक + 1 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	–18 ग्रामीण (12 प्राथमिक + 6 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) –12 शहरी (6 प्राथमिक + 6 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	38 विद्यालय
6ख. (6क) में से– जिले द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु नामांकन के लिए अधिकतम 14 पात्र विद्यालयों का अनुमोदन किया जाएगा (राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु मानदंड के अनुरूप) तथा विद्यालय के अंक और मूल्यांकन रैंकिंग को राज्य स्तर हेतु अग्रसारित किया जाएगा	–6 ग्रामीण (3 प्राथमिक + 3 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) –2 शहरी (1 प्राथमिक + 1 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	6 (प्रत्येक उप-श्रेणी विद्यालय हेतु 1 सर्वश्रेष्ठ)	14 विद्यालय

*टिप्पणियां:

1. चूंकि सभी पात्र विद्यालयों को संपूर्ण श्रेणी के लिए सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है, अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत "उप-श्रेणी स्तरीय पुरस्कार" हेतु भी अद्यतन स्वतः ही हो जाएगा।
2. यदि 5 स्टार श्रेणी के अंतर्गत विद्यालयों की संख्या अत्यधिक हो जाती है तो जिला समिति 3 एवं 4 स्टार विद्यालयों का मूल्यांकन नहीं करने का विकल्प चुन सकती है।
3. कुछ जिलों को एक सीमित समयावधि में अधिसंख्य विद्यालयों का सत्यापन करना पड़ सकता है। इस हेतु, जिलों द्वारा, एसबीपी पुरस्कार की प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, सक्षम शासकीय अभिकरण (एजेंसी)/प्रशिक्षण अथवा अकादमिक संस्थानों अथवा प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है।
4. जिला स्तरीय पुरस्कार को अंतिम रूप देने तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय पुरस्कार हेतु नामांकन भेजने के लिए एक अंतिम तिथि निश्चित है।

4.2 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर के पुरस्कार: पुरस्कारों की संख्या तथा सुझाई गई प्रक्रिया:

जनपद स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके विद्यालयों में से 4 स्टार और इससे अधिक स्टार मूल्यांकन वाले सभी विद्यालय, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय पुरस्कार हेतु पात्र होंगे। इस प्रकार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को निम्नानुसार राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय पुरस्कार हेतु प्रति जनपद अधिकतम कुल 14 पात्र विद्यालयों की सूची प्राप्त होगी:

"पी" संख्या जनपदों वाले एक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के पास अधिकतम 14 x पी संख्या वाले विद्यालय होंगे, जिनका नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय पुरस्कार हेतु मूल्यांकन किया जाना है :

6 (प्रत्येक उप-श्रेणी विद्यालय हेतु 1 सर्वश्रेष्ठ)

अवस्थिति	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय पुरस्कार (4 स्टार एवं इससे अधिक स्टार मूल्यांकन वाले विद्यालयों हेतु खुला है)		
	संपूर्ण अंक आधारित	उप-श्रेणी स्तर का पुरस्कार	कुल
ग्रामीण	12 (6 प्राथमिक + 6 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	6 (प्रत्येक उप-श्रेणी विद्यालय हेतु 1 सर्वश्रेष्ठ)	26
शहरी	8 (4 प्राथमिक + 4 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)		
कुल राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय पुरस्कार	20	6	26
मानदंड (राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु पात्रता)	संपूर्ण श्रेणी हेतु जनपद स्तरीय पुरस्कारों के लिए अनुमोदित विद्यालयों में से चार स्टार एवं इससे अधिक स्टार मूल्यांकन वाले विद्यालय	उप-श्रेणी में न्यूनतम पांच स्टार के मूल्यांकन वाले प्रत्येक उप-श्रेणी (कुल 6) में सर्वाधिक अंक प्राप्त करनेवाले	
प्रक्रिया ↓	**राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय समिति (अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों) द्वारा जनपद स्तरीय पुरस्कार हेतु अनुमोदित 4 स्टार एवं इससे अधिक स्टार मूल्यांकन वाले सभी विद्यालयों में से पात्र विद्यालय का सत्यापन किया जाएगा**		
1. राज्य स्तरीय समिति – जनपद स्तरीय पुरस्कारों हेतु चयनित सभी पात्र विद्यालयों की सूची निकालकर अलग करें↓	संपूर्ण अंक के अंतर्गत जनपद स्तरीय पुरस्कार हेतु अंतिम रूप में विचारित 4 स्टार वाले विद्यालय एवं इससे अधिक स्टार मूल्यांकन वाले विद्यालय (प्रत्येक श्रेणी हेतु – ग्रामीण, शहरी, प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	विद्यालय के जनपद स्तरीय सत्यापन के अंतर्गत संबंधित "उप-श्रेणी" अंतिम रूप में विचारित 5-स्टार मूल्यांकन वाला विद्यालय	
2. समिति, प्रक्रिया के बारे में अनुस्थापन के साथ विद्यालय का उचित सत्यापन करने हेतु योग्य मूल्यांकनकर्ताओं के पास पात्र विद्यालयों की सूची सौंपेगी (एक समय-सीमा के साथ) ↓	✓	✓	
3. नियुक्त मूल्यांकनकर्ता, नियत विद्यालयों का भौतिक सत्यापन (स्व-आकलन अंक के समक्ष) संचालित करेंगे तथा प्रत्येक प्रश्न एवं विद्यालय हेतु अंक अद्यतन करेंगे ↓	✓	✓	
4. व्यवस्था यानी प्रणाली, आकलन के अनुसार अंकन तथा स्टार मूल्यांकन की पुनर्गणना करेगी (इसके परिणामस्वरूप स्टार मूल्यांकन अधिकतम, न्यूनतम अथवा अपरिवर्तनीय हो सकता है ↓		✓	

अवस्थिति	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय पुरस्कार (4 स्टार एवं इससे अधिक स्टार मूल्यांकन वाले विद्यालयों हेतु खुला है)		
	संपूर्ण अंक आधारित	उप-श्रेणी स्तर का पुरस्कार	कुल
5. राज्य स्तरीय समिति जो है वह अंक, मूल्यांकन मानदंड एवं श्रेणी पर विचार करते हुए पुरस्कार हेतु सत्यापन के अंतर्गत प्राप्त अंतिम अंक के अनुसार सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यालय का चयन एवं अनुमोदन करेगी ↓	✓	✓	
6. राज्य, निम्नलिखित के अनुसार विद्यालयों का अनुमोदन करेगा–			
6क. राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु तथा	–12 ग्रामीण (6 प्राथमिक + 6 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) –8 शहरी (4 प्राथमिक + 4 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	6 (प्रत्येक उप-श्रेणी विद्यालय हेतु 1 सर्वश्रेष्ठ)	26 विद्यालय
6ख. (6क) में से– राज्य द्वारा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हेतु नामांकन के लिए अधिकतम 16 पात्र विद्यालयों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा (राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हेतु मानदंड के अनुरूप) तथा विद्यालय के अंक और मूल्यांकन को राष्ट्रीय स्तर के अंकन हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा	–12 सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण (6 प्राथमिक + 6 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) –8 शहरी (4 प्राथमिक + 4 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक)	6 (प्रत्येक उप-श्रेणी विद्यालय हेतु 1 सर्वश्रेष्ठ)	26 विद्यालय

**टिप्पणियां:

1. चूंकि सभी पात्र विद्यालयों को राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर "संपूर्ण श्रेणी" के लिए सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है, अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत "उप-श्रेणी स्तरीय पुरस्कार" हेतु भी अद्यतन स्वतः ही हो जाएगा।
2. यदि 5 स्टार श्रेणी के अंतर्गत विद्यालयों की संख्या अत्यधिक हो जाती है तो राज्य समिति 4 स्टार विद्यालयों का मूल्यांकन नहीं करने का विकल्प चुन सकती है।
3. कुछ राज्यों को एक सीमित समयावधि में अधिसंख्य विद्यालयों का सत्यापन करना पड़ सकता है। इस हेतु, राज्य द्वारा, एसवीपी पुरस्कार की प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, सक्षम शासकीय अभिकरण (एजेंसी)/प्रशिक्षण अथवा अकादमिक संस्थानों अथवा प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है।
4. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय पुरस्कार को अंतिम रूप देने तथा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हेतु नामांकन भेजने के लिए एक अंतिम तिथि निश्चित है।

unicef
for every child

संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (युनिसेफ)

भारत राष्ट्र का कार्यालय
यूनिसेफ हाउस, 73, लोदी एस्टेट,
नई दिल्ली 110003
दूरभाष: +91 11 24690401
वेबसाइट: www.unicef.in